न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 13 / 2020 प्र०पत्र

1– अजमल S/o रंगलाल राव नि० विलेश्वर तह० करेड़ा –प्रार्थी।

बनाम

1– उगार S/o गणेश कुमावत नि० विलेश्वर तह० करेड़ा – वगैरह विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 6/4/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विलेश्वर पटवार हल्का विलेश्वर भू०अ०नि० क्षेत्र कोटड़ी में उनके खाता संख्या 86 की आ०नं० 2937/587 0.6197, 2978/587 0.2529, कुल किता 2 रकबा 0.8726 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते / संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/1/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः:

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम विलेश्वर पटवार हल्का विलेश्वर भू०अ०नि० क्षेत्र कोटड़ी में उनके खाता संख्या 86 की आराजी नम्बर 2937/587 0.6197, 2978/587 0.2529, कुल किता 2 रकबा 0.8726 हैक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अ०नि० कोटड़ी को 550/-/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नही की जावे।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा